

किराये के मकान मे रहने वाले राज्य कर्मचारी के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त करने हेतु
आवेदन -पत्र

1. नाम
2. पद एवं विभाग जिसमें नियुक्त है
3. मकान मालिक का नाम एवं किराये के मकान का पूरा पता
4. दिया जाने वाला मासिक किराया
5. नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत मकान किराया भत्ते की रकम
6. किराये के मकान को लेने का दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. मैं,नगरपालिका/नगरनिगम/क्षेत्र/गांवमें स्थित मकान में किराये पर रह रहा हूँ।
2. मुझे सरकारी निवास स्थान नहीं मिला है।
3. जिस मकान का किराया भत्ता मांगा गया है, उसका कोई भी भाग न तो दूसरे को किराये पर दिया है और न ही, मुझ पर पूरी तरह आश्रित अथवा मेरे कुटुम्ब के व्यक्तियों के अतिरिक्त उसमें कोई रहता है।
4. मेरी पत्नी/पति मेरे नियुक्ति के स्थान पर न राज्य सेवा में हैं और न अन्य पब्लिक/प्राइवेट क्षेत्र में नियुक्ति पर हैं।

अथवा

मेरी पत्नी/पति मेरे नियुक्ति के स्थान पर राज्य सेवा में हैं या पब्लिक/प्राइवेट क्षेत्र के नियोजन में नियुक्ति पर हैं और कि यह राज्य सरकार/अन्य नियोजक से मकान किराया भत्ता नहीं ले रहा है।
(जो काम का न हो उसे काट दें)

5. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे अधीनस्थ मकान का वास्तव में दिया गया किराया,मुझे स्वीकृत किये गये मकान किराये से कम नहीं है/या
6. मेरी पत्नी/पति को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/एवं ओटोनोमस पब्लिक अन्डरटेकिंग या अर्ध राजकीय संस्थापक द्वारा उसी स्थान पर कौटुम्बिक निवास(फैमिली एकोमोडेशन)अलोट नहीं किया गया है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पद

विभाग

कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. मैंने मकान किराये भत्ते की मांग की जांच कर ली है और मुझे संतुष्टि है कि मांग नियमों के अनुकूल है। सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र राज्य कर्मचारी से प्राप्त कर लिये गये हैं।
2. एतद् द्वारा मकान किराया भत्ता रु.का स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

मय पद

स्वयं द्वारा उसके/उसकी पत्नी/पति/बच्चे/पिता/माता या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब में सह-भागीदार द्वारा किराये पर दिये हुए मकान में रहने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त करने हेतु

आवेदन - पत्र

1. नाम
2. पद एवं विभाग जिसमें कार्यरत है
3. मकान का पूर्ण पता.....
मकान मालिक का नाम
4. नियमों के अन्तर्गत देय मकान के किराये भत्ते की रकम

मकान का अनुमानि किराया (यथा नगर पालिका आदि कार्य हेतु जिस भाग में कर्मचारी रहता/रहती हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- 1- मैं मेरे पति/मेरी पत्नी/बेटे/बेटी/पिता/माता एक अविभाजित हिन्दु परिवार के मकान में जिसमें मैं एक सह भागीदारी हूँ।
- 2- कि जिस निवास स्थान क किराया भत्ता मांगा गया है उसमें साधारणतः मेरे कुटुम्ब के व्यक्ति के अलावा कोई नहीं रहता है।
- 3- कि मेरी पत्नी/पति को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/एक ओटोनोमत पब्लिक अण्डरटेकिंग या अर्ध राजकीय संस्था जैसे कि नगरपालिका आदि प्राप्त उसी स्थान पर निवास अलॉट नहीं किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर कर्मचारी मय पद एवं

विभाग

कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (1) मैंने मकान किराये भत्ते की माँग की जाँच कर ली है और मुझे संतुष्टि है कि माँग नियमों के अनुकूल है सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमाण-पत्र राज्य कर्मचारी से प्राप्त कर लिये गये हैं।
- (2) एतद् द्वारा मकान किराया भत्ता रुपये का स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक

हस्ताक्षर अधिकारी मय पद एवं विभाग